

भारत सरकार की महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु
जनपद-शाहजहाँपुर में
गठित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) समिति की दिनांक 27.04.2023
को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन नमामि गंगे जलपूर्ति अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 95/छियत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी0सी0ए0-अ0 लखनऊ दिनांक 21.01.2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति की बैठक दिनांक 27.04.2023 को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार, शाहजहाँपुर में आयोजित की गयी है। बैठक में मै0 एन0सी0सी0 लि0 द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष 22 नग (33 राजस्व ग्राम) के डी0पी0आर0 प्रस्तुत किये गये। DWSM की बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1	जिलाधिकारी शाहजहाँपुर	अध्यक्ष
2	मुख्या विकास अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
3	जिला विकास अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
4	प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके नामित सदस्य	सदस्य
5	परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण, शाहजहाँपुर	सदस्य
6	मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
7	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
8	अधिशाली अभियंता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई शाहजहाँपुर	सदस्य
9	अधिशाली अभियंता, ग्राउंड वाटर शाहजहाँपुर	सदस्य
10	जिला कृषि अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
11	जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
12	अधिशाली अभियंता वि0/या0 उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद शाहजहाँपुर।	सदस्य
13	अधिशाली अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण शाहजहाँपुर	सदस्य सचिव

जल निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन के अर्न्तगत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा ग्रामीण पेयजल अपूर्ति हेतु फर्म मै एन0सी0सी0 लि0, हैदराबाद को चयनित किया गया है। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति" द्वारा फर्म (2025 राजस्व ग्राम) की सूची उपलब्ध करायी गयी। जिसमें से 839 नग डी0पी0आर0 (1986 राजस्व ग्राम) की डी0डब्ल्यू0एस0एम0 से स्वीकृत है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत फर्म द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा समय समय पर निर्गत किए गये निर्देशों के अनुपालन में प्राक्कलन विरचित किये गए हैं, जिसकी जल निगम एवं मै0 मेधज टैक्नों कान्सेप्ट प्रा0लि0 (डी0पी0एम0यू0), शाहजहाँपुर द्वारा तकनीकी गाइडलाइन के अनुरूप सघनता से जांच की गयी। फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 में ली गयी कार्यों की दरें SWSM Schedule रेट के आधार पर ली गयी है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा मानकीकृत प्रति व्यक्ति 55 एल0पी0सी0डी0 की दर से अभिकल्पित वर्ष 2052 के लिए विरचित किया गया है।



➤ वर्तमान तक "जिला पेयजल मिशन" समिति द्वारा 839 नग डी0पी0आर0 (1986 राजस्व ग्राम) अधिशासी निदेशक नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है तथा 839 नग (1986 राजस्व ग्राम) की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। इसी क्रम में आज बैठक में 22 नग डी0पी0आर0, (33 राजस्व ग्राम) "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति" के समक्ष संस्तुति हेतु प्रेषित की गयी। उक्त 22 नग डी0पी0आर0 में 14 नग Compliant एवं 8 नग Non-Compliant डी0पी0आर0 सम्मिलित हैं।

Non-Compliant डी0पी0आर0 प्रेषित किये जाने से पूर्व अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, शाहजहाँपुर के माध्यम से जांच कराते हुए डी0पी0आर0 प्रेषण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

➤ सड़कों की पुर्नस्थापना के कार्य किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुबन्धित संस्था को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि सड़कों को खोदने के साथ ही पाइप लाइन विछाये जाने के कार्य पूर्ण होते ही मोटरवेल करने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जाये एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि पुर्नस्थापना के कोई भी भुगतान किसी भी स्थिति में अग्रिम आदेशों तक सुनिश्चित न किये जायें तथा उक्त पर फर्म को नोटिस पारित किया जाये।

➤ जल जीवन मिशन कार्यक्रम से सम्बन्धित आई0एस0ए0त्र मै0 भावना सेवा संस्थान द्वारा कराये गये कार्यों से सम्बन्धित कलस्टर ए6, ए7 एवं ए8 के बीजक क्रमशः रू0 1564514.00, रू0 1627134.00 एवं रू0 1689285.00 के भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित आई0एस0ए0 द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्धारित एकटीविटीज में सहमती पत्र तथा सामूहिक अंशदान प्राप्त किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित आई0एस0ए0 द्वारा शत प्रतिशत सुनिश्चित नहीं की गयी है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त आई0एस0ए0 के बीजकों के भुगतान में से 20 प्रतिशत भुगतान को With held करते हुए भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उपरोक्त With held धनराशि समस्त कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से निर्णय प्राप्त करने के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

➤ अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अन्य आई0एस0ए0 के सम्बन्ध में भी जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अवगत कराया गया कि चयनित आई0एस0ए0 द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्धारित एकटीविटीज में सहमति पत्र तथा सामूहिक अंशदान शत प्रतिशत प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जा रही है, जिस हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि चयनित आई0एस0ए0 को उक्त हेतु कड़े निर्देश जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से निर्गत किये जायें।

➤ बैठक में आई0एस0ए0 कोऑर्डिनेटर एवं अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण द्वारा आई0एस0ए0 के कार्यों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि चयनित आई0एस0ए0 मै0 शिक्षा भारती एवं मै0 पी0एस0 सेवा समिति द्वारा कार्यों में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। उक्त आई0एस0ओ0 की प्रगति अत्यन्त धामी है, जिसके कारण निर्धारित समय सीमा अन्तर्गत जल जीवन मिशन के आई0एस0ए0 कार्यों को पूर्ण कराया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। कार्यों में सुधार हेतु सम्बन्धित को जिलाधिकारी महोदय/मुख्य विकास अधिकारी महोदय के माध्यम से पूर्व में भी कई बार निर्देशित भी किया जा चुका है। कार्यहित में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दोनों चयनित आई0एस0ए0 के साथ सम्पादित अनुबन्धों को निरस्त करते



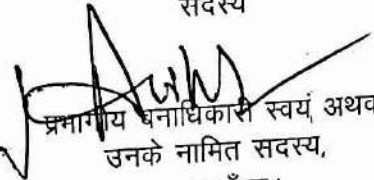
हुए उपरोक्त कार्यों को अन्य चयनित आई0एस0ए0 जिनकी प्रगति अच्छी है, को आवंटित कराते हुए कार्य पूर्ण कराये जायें।

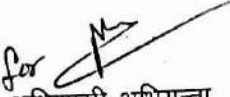
- सदस्य सचिव/अधिशाली अभियन्ता द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि जनपद शाहजहाँपुर के 19 नग डी0पी0आर0 राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से दुबारा (Duplicate) के रूप में स्वीकृत हो गये हैं, जिन्हें निरस्त/कम कराया जाना अतियावश्यक है। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि पूर्ण विवरण के साथ अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से अवगत कराया जाये।

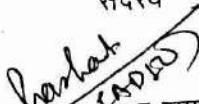

अधिशाली अभियन्ता
खण्ड कार्यालय,
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
शाहजहाँपुर।
(सदस्य सचिव)


अधिशाली अभियन्ता
वाटर रिसॉर्सेस/सिंचाई
शाहजहाँपुर।
सदस्य


जिला विकास अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य


प्रमाणित धनाधिकारी स्वयं अथवा
उनके नामित सदस्य,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

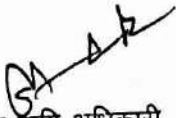

अधिशाली अभियन्ता
(वि0/या0)
खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम,
मुरादाबाद।
सदस्य

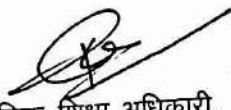

जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य


परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, शाहजहाँपुर
सदस्य


जिलाधिकारी, (अध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
शाहजहाँपुर।


अधिशाली अभियन्ता
लघु सिंचाई,
शाहजहाँपुर।
सदस्य


जिला कृषि अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य


बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य


मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य


मुख्य विकास अधिकारी,
शाहजहाँपुर।

उपाध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी
शाहजहाँपुर